

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

क्रमांक/रीडर/2024/308/2024

दिनांक- 13/05/2024

विधित्त-

तहसीलदार जहाजपुर

विषय- प्र.स. 308/2024 अनवान सत्यनारायण पुत्र जयकिशन मीणा निवासी सरसिया बनाम मन्नी देवी पति अरुण कुमार मीणा निवासी देवपुरा, अर्जुन कुमार पुत्र लखमाराम मीणा निवासी सरसिया, कैलाश पुत्र भेरू लाल टांक निवासी सरसिया, प्रशान्त सिंहल पुत्र दामोदर सिंहल निवासी जहाजपुर, तहसीलदार जहाजपुर वगैरह की पत्थरगढी की पालना बाबत।।

उपरोक्त विषयांकित अनवान के प्रकरण में ग्राम पीपलून्द प.ह. पीपलून्द आराजी सं. 2886/2344 कुल किता 01 रकबा 2.5090 हैक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक पीपलून्द को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 2000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 200 रुपये राजकोश में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस/समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा